रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकरण से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 209] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 1987/वैशाख 8, 1909
No. 209] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 1987/VAISAKHA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1987

अधिसूचना

का. आ. 417(अ):—चूंकि केन्द्रीय सरकार का प्रत्यक्षतः यह विचार है कि "रैम्बो : फर्स्ट ब्लड (भाग II) (संशोधित) (अंग्रेजी) नामक यथाप्रमाणित फिल्म से सोवियत संघ और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों में तनाव पैदा होने की संभावना है तथा चूंकि यह फिल्म सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 7-1-78 को अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ. (सी.) (यथा संशोधित) के अन्तर्गत जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के पैरा 2(viii)

में उल्लिखित विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों से सम्बन्धित मार्गदर्शी रेखारूप का उल्लंघन करती है तथा इस प्रकार सिनेमाटोग्राफ अधिनियम 1952 (1952 का 37) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 5ख की उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत "विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध" से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन होता है और चूंकि फिल्म के लगातार प्रदर्शन से सोवियत संघ और वियतनाम समाजवादी गणराज्य के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसलिए केन्द्रीय सरकार फिल्म के जन प्रदर्शन पर तत्काल रोक लगाना आवश्यक समझती है ताकि संबंधों को आगे बिगड़ने से रोका जा सके।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) के खंड (ग) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि रैम्बो : फर्स्ट ब्लड (भाग II) (संशोधित) (अंग्रेजी) नामक फिल्म का प्रदर्शन, जिसे केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, बम्बई द्वारा 22-12-86 को "ए" प्रमाणपत्र स. ए—663 प्रदान किया गया था, इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो माह की अवधि के लिए निलम्बित कर दिया जाए।

[809/5/87/एफ. सी.]

मनमोहन सिंह, संयुक्त. सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Culture)

New Delhi, the 28th April, 1987

NOTIFICATION

S.O. 447(E).—Whereas the Central Government is *prime facie* of the opinion that the film 'RAMBO : FIRST BLOOD PART II (Revised) (English) as certified is likely to strain our friendly relations with the U.S.S.R. and the Socialist Republic of Vietnam and whereas the film offends the guideline relating to friendly relations with foreign states mentioned in para. 2(viii) of the guidelines issued under the Ministry of Information and Broadcasting Notification No. F. 5/5/77-F(C) dated 7-1-78 (as amended) and thus contravenes the provisions relating to "friendly relations with foreign states" within the meaning of sub-section (1) of Section 5B of the Cinematograph Act 1952 (37 of 1952) (hereinafter called the said Act); and whereas the continued exhibition of the film is likely to have an adverse effect on our friendly relations with the U.S.S.R. and the Socialist

Republic of Vietnam, the Central Government therefore feels it necessary to immediately stop the exhibition of the film to the public so that further damage is averted;

Therefore, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the exhibition of the film entitled RAMBO : FIRST BLOOD (PART II) (Revised) (English) which was granted 'A' certificate No. A 663 on 22-12-86 by the Central Board of Film Certification, Bombay; be suspended for a period of two months with effect from the date of issue of this Notification.

[809/5/87-FC]
MANMOHAN SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987